राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प. 6(30)राज-6/2001 पार्ट / 13 जयपुर दिनांक 22.7.2004

समस्त जिला कलेक्टर,

राजस्थान ।

परिपत्र

विषय:- लीज डीड में मृतक की मृत्यू के पश्चात उसके वारिसों का नाम लीज डीड में अंकन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलेक्टर नागौर द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन में आवंटी की मृत्यू के पश्चात लीज डीड में आवंटी के विधिक उत्तराधिकारियों का अंकन किस प्रकार किया जावे या नवीन लीज डीड जारी कर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जावे ।

उक्त विषय पर विधि विभाग की राय ली गई विधि विभाग की राय उपरान्त उक्त संबंध में यह निर्देश दिये जाते है कि मूल आवंटी की मृत्यू के पश्चात उसके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम लीज डीड में अंकन कर दिया जावे लेकिन मूल लीज डीड में पट्टाधारी के विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, वारिस आदि सम्मलित हो ऐसी अवस्था में नई लीज डीड जारी करने की आवश्यकता नही है । मृतक के स्थान पर विधिक उत्तराधिकारियों का नाम अंकित किये जाने के पश्चात लीज डीड की शर्तों एवं अवधि में कोई परिवर्तन नही होगा तथा अंकन किये जाने के पश्चात यदि पूर्व में उक्त लीज डीड का पंजीयन नही किया गया हो तो उसका पंजीयन कर दिया जावे ।

उप शासन सचिव